



प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026

विषय : व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कार्मिकों को अनुमन्य हो रहे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स को यथावत बनाये रखा जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-8/2026-वे0आ0-2-447(1)/दस-2026. तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01
- (2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।